न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या – 28/2024
जीसीएमएस सं. – 2024/74

वादी — बनाम — प्रतिवादी

वादी:
1.हजकी पत्नि रसीदखां जाति सिंधी मुसलमान निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, पीपाड़शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर राज.।

प्रतिवादी:
1.आलमखातून पत्नि उमरखां
2.गोली पत्नि माईखान
3.सोमुडी पत्नि बाबूखां
जातियान सिंधी मुसलमान निवासीगण अम्बेडकर कॉलोनी पीपाड़शहर तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़शहर तहसील कार्यालय पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 22/02/2024

उपस्थित अधिवक्ता :–
1. श्री मंसूर अली छीपा, अधिवक्ता वादीनी।

निर्णय

दिनांक : 17/04/2026

वादी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीनी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारीसूदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1821 क्षेत्रफल 1.0760 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 55 व पूराना 60 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें वादग्रस्त है, सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम हाजरा बानू पत्नि नसीरखाँ अंकित है जो कि त्रुर्टिपूर्ण नाम है जबकि वादीनी का सही व वास्तविक नाम हजकी पत्नि रसीदखां है। वादीनी के आधार कार्ड, परिवारकार्ड, परिचयपत्र, जनआधार कार्ड बैंक डायरी में वादीनी का सही नाम हजकी पत्नि रसीदखां अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम मुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम हाजरा बानू पत्नि नसीरखाँ अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिससे वादिनी को सरकारी योजनाओं के लाम लेनें में परेशानी उठानी पडेती इसलिए वादिनी के नाम को दुरूस्त करवानें का वादीनी अधिकारी है। वादीनी द्वारा दिनांक 19.2.2024 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादीनी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादीनी के पास विकल्प नही है इसलिए वादीनी का उक्त वाद वास्तें सही नाम हाजरा बानू पत्नि नसीरखाँ के स्थान पर हजकी पत्नि रसीदखां किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। वादीनी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आश्य की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम पीपाड शहर तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीनी व प्रतिवादीगण की सहखातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 1821 क्षेत्रफल 1.0760 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम हाजरा बानू पत्नि नसीरखाँ के स्थान पर हजकी पत्नि रसीदखां घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी के वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता उदयसिंह कच्छावाह ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार वादीनी का वाद स्वीकार किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार अनुसार वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 1821 में वादीनी का नाम हाजराबानू पत्नी नसीरखां के स्थान पर हजकी पत्नी रसीदखां किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी, वादी के वाद पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जिस पर वादीनी का राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 1821 में वादीनी का नाम हाजराबानू पत्नी नसीरखां के स्थान पर हजकी पत्नी रसीदखां दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 17/04/2016 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)